प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 3973/2004

याचिकाकर्ता: महाप्रबंधक, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड

बनाम

उत्तरदाता: छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

और

रिट याचिका संख्या 3333/2005

याचिकाकर्ता: छत्तीसगढ़ सीमेंट उत्पादकर्ता संघ

बनाम

उत्तरदाता: भारत संघ और अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विचारार्थ प्रस्तुत आदेश

सही/-

न्यायाधीश

15-12-2010

आर एन चंद्राकर

मै सहमत हु

सही/-

आर एन चंद्राकर

16 दिसंबर, 2010 को आदेश के लिए सूची बद्ध करें

सही/-

धीरेंद्र मिश्रा

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 3973/2004

याचिकाकर्ता: महाप्रबंधक, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड (अब विलय होकर "अल्ट्रा टेक सेम कंपनी लिमिटेड"), हिरमी सीमेंट वर्क्स, हिरमी, जिला रायपुर

बनाम

उत्तरदाता: 1.छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा, सचिव, श्रम विभाग, डीकेएस भवन, रायपुर के माध्यम से

2.श्रम आयुक्त, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)

3.अध्यक्ष, औद्योगिक न्यायालय, रायपुर (छ.ग.)

4. महासचिव, सीमेंट वर्कर्स यूनियन, मजदूर सभा भवन, नंदिनी रोड, भिलाई, जिला दुर्ग (छ.ग.)

5.भारत संघ, सचिव द्वारा,श्रम मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

और

रिट याचिका संख्या 3333/2005

याचिकाकर्ता: छत्तीसगढ़ सीमेंट उत्पादक एसोसिएशन, एक पंजीकृत सोसायटी है, जो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स एंड सोसाइटीज छत्तीसगढ़, रायपुर के पास पंजीकृत है, जिसका पंजीकृत कार्यालय सी/ओ सेंचुरी सीमेंट 21/4, सिविल लाइंस, रायपुर में है, जिसके अध्यक्ष श्री आई.एम. शर्मा हैं।

बनाम

उत्तरदाता: 1. भारत संघ द्वारा,सचिव श्रम विभाग, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली के माध्यम से

2. मध्य प्रदेश राज्य सचिव श्रम विभाग वल्लभ भवन भोपाल के माध्यम से

3.छत्तीसगढ़ राज्य, सचिव, श्रम विभाग, डीकेएस भवन, रायपुर के माध्यम से

उपस्थित

श्री गुरु कृष्ण कुमार, श्री आनंद सुकुमार, श्री एन.के. व्यास, श्री पी.के. मैत्रा और याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता श्री प्रदीप सक्सेना याचिकाकर्ता के अधिवक्ता।

श्रीमती फौजिया मिर्जा, भारत संघ की सहायक सॉलिसिटर जनरल।

श्री किशोर भादुड़ी, अतिरिक्त महाधिवक्ता, श्री यशवंत सिंह ठाकुर, उप महाधिवक्ता और श्री यू.एन.एस. देव, राज्य के शासकीय अधिवक्ता।

श्री पी.के. मोइत्रा और श्री के.आर. नायर, रिट याचिका संख्या3973/2004 में प्रतिवादी संख्या 4 के अधिवक्ता।

श्री शैलेन्द्र शर्मा, प्रस्तावित हस्तक्षेपकर्ता के अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

खंडपीठ: **माननीय श्री धीरेंद्र मिश्रा एवं**

माननीय श्री आर एन चंद्राकर, न्यायाधीशगण.

निर्णय

(16 दिसंबर, 2010 को पारित)

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश न्यायमूर्ति धीरेन्द्र मिश्रा द्वारा पारित किया गया।

1. उपर्युक्त रिट याचिकाओं का निपटारा इस सामान आदेश द्वारा किया जा रहा है क्योंकि इन दोनों याचिकाओं में विधि का प्रश्न और तथ्य समान हैं।

2. रिट याचिका क्रमांक 3973/2004 में, याचिकाकर्ता ने दिनांक 11-11-2003 (अनुलग्नक-पी/1) के रेफरेंस आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ राज्य ने छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (1960 का क्रमांक 27) (जिसे आगे '1960 का अधिनियम' कहा जाएगा) की धारा 51 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुसूची में उल्लिखित

याचिकाकर्ता और प्रतिवादी क्रमांक 4 के बीच विवाद को औद्योगिक न्यायालय, रायपुर में मध्यस्थता के लिए भेजा है और उपरोक्त रेफरेंस के आधार पर औद्योगिक न्यायालय के समक्ष कार्यवाही को रद्द करने की भी प्रार्थना की है, जबकि रिट याचिका संख्या 3333/2005 में, याचिकाकर्ता, जो सीमेंट उत्पादकर्ता का एक संघ है, ने राज्य सरकार की कार्रवाई, जिसके तहत सीमेंट उद्योग को 31 दिसंबर 1960 के अधिनियम के तहत कवर किया गया है, को अधिकारातीत घोषित करने और राज्य को सीमेंट उद्योग को दिनांक 1960 की अधिसूचना से हटाने का निर्देश देने की प्रार्थना की है। 31 दिसंबर, 1960. यह भी प्रार्थना की गई है कि छत्तीसगढ़ के श्रम न्यायालय, औद्योगिक न्यायालय सहित किसी भी न्यायालय में लंबित अधिनियम 1960 की धारा 51 के तहत रेफरेंस से उत्पन्न सभी विधिक कार्यवाहियों को अधिकार-बाह्य घोषित किया जाए और तदनुसार,बाधक लिया जाये।

3. मामले के संक्षेप में बताए गए तथ्य ये हैं कि प्रतिवादी क्रमांक 4 ने याचिकाकर्ता कंपनी द्वारा नियोजित ठेकेदार के कर्मचारियों के संबंध में विवाद उठाया। सुलह की कार्यवाही विफल होने पर प्रतिवादी क्रमांक 1 ने विवाद को अधिनियम 1960 की धारा 51(1) के तहत औद्योगिक न्यायालय, रायपुर को न्यायनिर्णयन के लिए भेज दिया। राज्य सरकार के कहने पर विभिन्न आधारों पर रेफरेंस की पोषणीयता के संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा औद्योगिक न्यायालय के समक्ष प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई थी। हालांकि, इसे 5-10-2002 के आदेश के तहत प्रतिवादी क्रमांक 4 को देय 2,000/- रुपये की लागत के साथ इस निष्कर्ष के साथ खारिज कर दिया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई किसी भी आपत्ति को प्रारंभिक आपत्ति के रूप में तय नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ता इन आपत्तियों को दावे के बयान में ले सकता है और इसे अन्य मुद्दों के साथ गुण-दोष के आधार पर तय किया जाएगा और याचिकाकर्ता को अंततः दावे का बयान दर्ज करने का अंतिम अवसर दिया गया है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

<u>श्री गुरु कृष्ण कुमार, अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क</u>

4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों को संक्षेप में निम्नानुसार प्रस्तुत किया जा सकता है:-

➤ सीमेंट उद्योग एक नियंत्रित उद्योग है जैसा कि उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 (संक्षेप में औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम,1951) की धारा 2 के अंतर्गत घोषित किया गया है। केंद्र सरकार ने सीमेंट उद्योगों के कामकाज पर नियंत्रण रखा है, जैसा कि विभिन्न वेतन बोर्ड समझौतों और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (संक्षेप में 'आईडी अधिनियम') की धारा 10-क के अंतर्गत श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच विवादों के निपटारे के लिए दिए गए रेफरेंस निर्देश से स्पष्ट होता है (रिट याचिका क्रमांक 3333/05 में अनुलग्नक-पी/9)।

➤ छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम (संक्षेप में छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960,) की धारा 1(3) के अंतर्गत सीमेंट उद्योग को सम्मिलित करने कोई भी अधिसूचना अधिकारातीत है, क्योंकि सीमेंट एक नियंत्रित उद्योग है। सूची 1 की प्रविष्टि 52 के अंतर्गत आने वाले उद्योगों के संबंध में राज्य विधानमंडल की शक्तियाँ उस सीमा तक सीमित हो जाएँगी जहाँ तक केंद्रीय अधिनियम द्वारा क्षेत्राधिकार प्राप्त है। सूची 2 की प्रविष्टि 24 के अंतर्गत आने वाले उद्योगों से निपटने की राज्य विधानमंडल की शक्ति सूची 1 की प्रविष्टि संख्या 7 और 52 के प्रावधानों के अधीन है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

➤ भले ही छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960, का अधिनियमन सूची III की प्रविष्टि 22 से जुड़ा हो, सीमेंट उद्योग को इसमें शामिल करना असंवैधानिक है, क्योंकि केंद्र सरकार ने श्रम/औद्योगिक विवादों के विनियमन के संबंध में क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है।सीमेंट उद्योग को आईडी अधिनियम की धारा 2(क)(i) के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 8-11-1977 (रिट याचिका क्रमांक 3333/05 में अनुलग्नक-पी/3) के तहत प्रतिबंधित किया गया है।

➤ उक्त अधिसूचना के अनुसार, औद्योगिक विवाद निवारण अधिनियम की धारा 2(ee) के अंतर्गत, केंद्र सरकार ही सीमेंट उद्योग के लिए समुचित सरकार है और इस प्रकार, केवल केंद्र सरकार ही औद्योगिक विवाद निवारण अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत सीमेंट उद्योग में औद्योगिक विवाद का संदर्भ दे सकती है। दिनांक 8-11-1977 की अधिसूचना के बाद, वर्ष 1960 में छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम,1960,को प्राप्त राष्ट्रपति की स्वीकृति सीमेंट उद्योग पर लागू नहीं होगी, क्योंकि अधिसूचना सीमेंट उद्योग से संबंधित औद्योगिक/श्रम विवादों से निपटने का अधिकार केंद्र सरकार अपने पास सुरक्षित रखती है और राज्य विधानमंडल सीमेंट उद्योग में श्रम/औद्योगिक विवादों से नहीं निपट सकते।

➤ दिनांक 8-12-1977 की अधिसूचना के तहत औद्योगिक विवाद निवारण अधिनियम की धारा 39 के अंतर्गत राज्य सरकार को शक्तियों का प्रत्यायोजन, राज्य सरकार को सीमेंट उद्योग से संबंधित औद्योगिक विवादों को स्वतंत्र रूप से निपटाने का अधिकार नहीं देता है। राज्य सरकार ऐसे किसी भी औद्योगिक विवाद को केवल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में ही न्यायिक निर्णय के लिए निर्देशित कर सकती है। इस प्रकार, सीमेंट उद्योग से संबंधित औद्योगिक विवादों को निपटाने के लिए राज्य सरकार को सशक्त बनाने वाले छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम,1960, के प्रावधान अधिकारातीत हैं। **अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड बनाम श्रीनिवास नारायण राव मोहरिल**[1] मामले का हवाला दिया जा सकता है।

➤ अधिसूचना दिनांक 8-12-1977 (रिट याचिका क्रमांक 3973/04 में अनुलग्नक-पी/6) के तहत प्रतिनिधिमंडल इस शर्त के अधीन है कि केंद्रीय सरकार इस अधिनियम और खानों और खदानों से संबंधित नियमों के तहत सभी शक्तियों का प्रयोग करना जारी रखेगी जो सीमेंट उद्योग का हिस्सा हैं और नियोक्ताओं, जो सीमेंट निर्माता संघ, बॉम्बे के सदस्य हैं और उनके श्रमिकों के बीच विवाद से संबंधित हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

➤ आक्षेपित निर्देश द्वारा, औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 10-क के अंतर्गत दिए गए निर्णय के अनुसार ठेका मजदूरी की समाप्ति का मुद्दा राज्य सरकार द्वारा न्यायाधिकरण को निर्देशित किया गया है। यह विषय केंद्र सरकार के अनन्य अधिकारातीत में है और राज्य सरकार को 8-12-1977 की अधिसूचना के तहत भी इससे निपटने का कोई अधिकार नहीं है। भारत संघ ने अपने प्रति-शपथपत्र में स्पष्ट रुख अपनाया है कि याचिकाकर्ताओं का मामला विधिक और समुचित है, जिससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि सीमेंट उद्योग के लिए केंद्र सरकार ही समुचित सरकार है। छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, के अंतर्गत अधिसूचना 31 दिसंबर, 1960 को जारी की गई थी।17-11-1960 के बाद जब राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960, को दिया गया।

श्री एन.के. व्यास, अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क

5. यद्यपि यह सही है कि आईडीआर अधिनियम के अंतर्गत नियंत्रित उद्योग घोषित करना ही आईडी अधिनियम की धारा 2(क)(i) के अनुप्रयोग हेतु पर्याप्त नहीं होगा, जब तक कि केंद्र सरकार यह निर्दिष्ट न करे कि धारा 2(क)(i) के प्रयोजनार्थ केंद्र सरकार ही समुचित सरकार है। वर्तमान मामले में, केंद्र सरकार ने दिनांक 8-11-1977 की अधिसूचना (अनुलग्नक-पी/3) के

माध्यम से स्वयं को सीमेंट उत्पादन में लगे उद्योग में समुचित सरकार के रूप में अधिसूचित किया है। दिनांक 8-12-1977 की अधिसूचना के माध्यम से केंद्र सरकार ने आईडी अधिनियम की धारा 39 के अंतर्गत अपनी शक्तियाँ राज्य सरकार को सौंप दी हैं ताकि वे अधिनियम के अंतर्गत सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकें। केन्द्रीय सरकार अधिनियम की धारा 2(क)(i) के तहत समुचित सरकार है और राज्य सरकार उसका प्रतिनिधि है, इसलिए राज्य सरकार को औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2(क)(i) के तहत परिभाषा के अनुसार सीमेंट उद्योग के संबंध में समुचित सरकार नहीं माना जा सकता है और इस प्रकार, राज्य सरकार के पास 1960 के अधिनियम की धारा 51 या औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 10(1) के तहत अधिसूचना जारी करने की कोई क्षमता नहीं है।_केंद्र सरकार लगातार सीमेंट उद्योग पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करती रही है, जैसा कि विभिन्न प्रस्तावों द्वारा वेतन बोर्ड के गठन से स्पष्ट है। भारत संघ ने अपने प्रति-शपथपत्र में यह भी स्पष्ट रुख अपनाया है कि राज्य को 1960 के अधिनियम के तहत ऐसी अधिसूचना जारी करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि सीमेंट उद्योग के संबंध में अधिसूचना जारी होने के बाद, केंद्र सरकार समुचित सरकार बन गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>श्रीमती फौजिया मिर्ज़ा, सहायक सॉलिसिटर जनरल भारत संघ द्वारा प्रस्तुत तर्क</u>

6. याचिकाकर्ताओं के मामले का समर्थन करते हुए, यह तर्क दिया गया कि केंद्र सरकार ने 8-11-1977 की अधिसूचना के तहत सीमेंट के विनिर्माण/उत्पादन में लगे उद्योग को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 के तहत नियंत्रित उद्योग के रूप में निर्दिष्ट किया है और 8-12-1977 की अधिसूचना के तहत औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 39 के तहत राज्य को शक्ति सौंपी गई है। हालाँकि, प्रत्यायोजन इस शर्त के अधीन है कि केंद्र सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत शक्तियों का प्रयोग जारी रखेगी। उपरोक्त अधिसूचना के आलोक में, सीमेंट उद्योग को 1960 के अधिनियम की अनुसूची में उल्लिखित उद्योगों की सूची से हटाया जाना चाहिए।

<u>महाधिवक्ता श्री किशोर भादुड़ी द्वारा प्रस्तुत तर्क</u>

7. 1960 का अधिनियम नियोक्ता और कर्मचारी के बीच अच्छे संबंध विकसित करने के उद्देश्य से अनुच्छेद 246 के तहत प्रविष्टि 22 सूची III अनुसूची VII में प्रदत्त शक्तियों के तहत अधिनियमित किया गया है। इसने संविधान के अनुच्छेद 254 (2) के तहत राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त की है

और इस प्रकार राज्य अधिनियम एक विशेष अधिनियम होने के नाते, सामान्य विधि यानी औद्योगिक विवाद अधिनियम पर अभिभावी होगा और 1960 के अधिनियम की अनुसूची में सीमेंट को शामिल करना किसी भी तरह से केंद्रीय अधिनियम यानी औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम,1951 और आईडी अधिनियम, 1947 के प्रावधानों के प्रतिकूल या विपरीत नहीं है। अनुसूची VII की सूची 1 और 2 क्षेत्रीय ट्रेड यूनियनों, औद्योगिक और श्रम विवाद के लिए प्रावधान नहीं करती हैं, इसलिए, औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम,1951 की पहली अनुसूची की प्रविष्टि सं औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम,को लागू करने का उद्देश्य केवल उद्योग के उत्पादन और विकास को विनियमित करना और नीतियों के मामलों में प्रांतीय सरकारों के साथ परामर्श करना है। इस प्रकार, सीमेंट उद्योग को लाइसेंसिंग और विकास के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा विनियमित किया जाता है। धारा 31 में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि अनुसूचित उद्योग के संबंध में अन्य अधिनियमों के लागू होने पर कोई रोक नहीं होगी।

1960 के अधिनियम की धारा 110 के अंतर्गत, औद्योगिक विकास अधिनियम के प्रावधानों को उन सभी उद्योगों पर लागू नहीं किया जाएगा जिन पर राज्य अधिनियम लागू होता है। अध्याय वी-ए,वी-बी,वी-सी और छंटनी, छंटनी मुआवज़ा, कुछ प्रतिष्ठानों में छंटनी, छंटनी या बंद करने से संबंधित विशेष प्रावधानों और अनुचित श्रम प्रथाओं से संबंधित अन्य प्रावधानों को छोड़कर, औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों को लागू नहीं किया जाएगा। हालाँकि, औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत पूर्व में हुए समझौतों को बरकरार रखा गया है और यह भी प्रावधान किया गया है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत लंबित मामलों का निपटारा केंद्रीय अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा, जो किसी भी उद्योग के संबंध में हैं जिस पर 1960 का अधिनियम लागू होता है। राज्य अधिनियम को अनुच्छेद 254(2) के अंतर्गत राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

संविधान और 1960 के अधिनियम के किसी भी प्रावधान को संसद के किसी भी अधिनियम द्वारा परिवर्तित या निरस्त नहीं किया गया है।

यह तर्क कि संसद ने संविदा श्रम उन्मूलन अधिनियम, 1970 (संक्षेप में '1970 का अधिनियम') को अधिनियमित करके संविदा श्रम के क्षेत्र में 1960 के अधिनियम की प्रयोज्यता को स्पष्ट रूप से निरस्त कर दिया है, वर्तमान मामले के तथ्यों से कोई सुसंगतता नहीं रखता है क्योंकि 1960 का अधिनियम केवल नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच विवाद के संबंध में है और धारा 2(13)

(क) में दी गई कर्मकार की परिभाषा के तहत, नियोक्ता के साथ अनुबंध के निष्पादन में ठेकेदार द्वारा नियोजित व्यक्ति भी राज्य कर्मचारी है, जबकि, 1970 का अधिनियम कुछ प्रतिष्ठानों में संविदा श्रम के नियोजन को विनियमित करने और कुछ परिस्थितियों में इसके उन्मूलन और संबंधित मामलों के लिए प्रावधान करने के लिए अधिनियमित किया गया है।

1970 के अधिनियम के प्रावधानों को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि इसमें कर्मचारियों और नियोक्ताओं के बीच विवादों के निपटारे का प्रावधान नहीं है।

<u>श्री के.आर. नायर, हस्तक्षेपकर्ता सीमेंट श्रमिक संघ के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क</u>

8. नियोक्ताओं और श्रमिकों के बीच विवाद सीमेंट वेज बोर्ड अवार्ड, 1983 द्वारा निर्धारित दर पर मजदूरी के भुगतान और अवार्ड की कुछ शर्तों के कार्यान्वयन न करने को लेकर है। चूँकि प्रबंधन ने उक्त दर पर मजदूरी का भुगतान करने से इनकार कर दिया था और साथ ही लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग और आकस्मिक प्रकृति के कार्यों को छोड़कर, सभी कार्य क्षेत्रों में ठेका श्रम को समाप्त करने से संबंधित प्रावधानों को लागू करने से भी इनकार कर दिया था। सुलह अधिकारियों ने सुलह समझौता किया, लेकिन जब कोई समझौता नहीं हुआ, तो राज्य को विफलता रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और तदनुसार, राज्य ने समझौते या अवार्ड के निर्माण और व्याख्या के लिए मामले को औद्योगिक न्यायालय को भेज दिया। सीमेंट वेज बोर्ड अवार्ड के पैरा 225 और 226 का संदर्भ दिया गया, जिसके अनुसार, अवार्ड में उल्लिखित कुछ कार्य क्षेत्रों को छोड़कर, देश में सीमेंट उद्योग में ठेका श्रम प्रणाली 1960 से समाप्त हो गई थी। याचिकाकर्ता प्रबंधन का पहले औद्योगिक न्यायालय के समक्ष तकनीकी आपत्तियाँ उठाने और बाद में तत्काल याचिका दायर करने का पूरा प्रयास औद्योगिक न्यायालय के समक्ष कार्यवाही लंबित संदर्भ में पारित अंतरिम आदेश के विरुद्ध रिट याचिका संख्या 3973/2004 दायर की गई है और इस प्रकार, यह विचारणीय नहीं है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों को दोहराते हुए, यह तर्क दिया गया कि राज्य अधिनियम एक विशेष अधिनियम होने के कारण औद्योगिक अपराध अधिनियम के प्रावधानों पर प्रभावी होगा। संसद द्वारा किसी विधि के अभाव में, सीमेंट उद्योग में नियोक्ता और कर्मचारी के बीच किसी भी विवाद को संदर्भित करने के लिए 1960 के अधिनियम की धारा 51 में निहित प्रावधान अधिकारातीत नहीं होंगे। अनुच्छेद 254(2) के प्रावधान के तहत संसद को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग केवल संसद द्वारा किया जा सकता है और इसे किसी कार्यकारी प्राधिकारी को नहीं

सौंपा जा सकता है। राज्य सरकार ने अनुसूचित उद्योग के संबंध में 1960 के अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में संदर्भ दिया है, न कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में। यह तर्क कि मुद्दा ठेका मजदूरी के उन्मूलन का है, सही नहीं है क्योंकि ठेका मजदूरी बहुत पहले समाप्त हो चुकी है 1970 का अधिनियम पूरी तरह से अलग क्षेत्र में कार्य करता है, अर्थात् ठेका श्रमिकों के नियमन और उन्मूलन के क्षेत्र में, जबकि 1960 का अधिनियम नियोक्ता और कर्मचारी के संबंधों और औद्योगिक विवादों के निपटारे को नियंत्रित करता है और दोनों अधिनियमों के प्रावधानों में कोई विरोधाभास नहीं है। याचिकाकर्ता और उद्योग के श्रमिकों के बीच विवाद का विषय सीमेंट वेतन बोर्ड द्वारा निर्धारित दर पर मजदूरी के भुगतान और पंचाट के कार्यान्वयन न होने से संबंधित है और मजदूरी भुगतान अधिनियम ठेका श्रमिकों और नियमित कर्मचारियों के बीच कोई अंतर नहीं करता है और ऐसी स्थिति में 1970 का अधिनियम लागू नहीं होता है।

मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 की धारा 2 (iia) (vi) के तहत मजदूरी की परिभाषा में पक्षों के बीच किसी भी समझौते के तहत देय कोई भी पारिश्रमिक शामिल है और राज्य सरकार मजदूरी भुगतान अधिनियम के तहत समुचित सरकार है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है।

10. याचिकाकर्ताओं ने 1960 के अधिनियम के साथ संलग्नअनुसूची में 31 दिसंबर, 1960 की अधिसूचना में सीमेंट उद्योग को शामिल करने पर इस आधार पर सवाल उठाया है कि इस कार्रवाई से सीमेंट उद्योग को केन्द्र सरकार के दायरे से बाहर कर दिया गया है, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2(ए) के तहत समुचित सरकार है और इस प्रकार यह अधिकारातीत है।

11. यह जोरदार ढंग से तर्क दिया गया है कि निर्देश अवैध है क्योंकि राज्य 1960 के अधिनियम की धारा 51 के तहत न्यायनिर्णयन के लिए वर्तमान विवाद को निर्देशित करने के लिए सक्षम नहीं था क्योंकि सीमेंट उद्योग को औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की पहली अनुसूची में क्रम संख्या 35 में शामिल किया गया है।

12. **बिजय कॉटन मिल्स लिमिटेड बनाम उसके कर्मचारी एवं अन्य**[2] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने समान आपत्ति पर विचार करते हुए यह माना कि "यह तथ्य कि वस्त्र उद्योग औद्योगिक (विकास एवं विनियमन) अधिनियम (1951) के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होता है, धारा 2(क)(i) के अनुप्रयोग के लिए पर्याप्त नहीं होगा। इस उत्तरार्द्ध प्रावधान के लिए यह आवश्यक है कि विनिर्देशन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में तथा उनके प्रयोजनार्थ किया जाना चाहिए ताकि केन्द्रीय सरकार स्वयं धारा 2(क)(i) के अंतर्गत ऐसे उद्योग के लिए समुचित सरकार बन सके।"

13. **विष्णु शुगर मिल्स लिमिटेड बनाम वर्कमेन के प्रबंध** मामले में सर्वोच्च न्यायालय के एक अन्य निर्णय में भी इस दृष्टिकोण को दोहराया गया।

14. 1960 का अधिनियम राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किया गया था और इसे 17 नवंबर, 1960 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। यह अधिनियम नियोक्ताओं और कर्मचारियों के संबंधों को विनियमित करने, उन उद्योगों में औद्योगिक विवादों के निपटारे के लिए प्रावधान करने हेतु अधिनियमित किया गया था जिन पर यह अधिनियम लागू होता है, जैसा कि अधिनियम के उद्देश्यों और उद्देश्यों से स्पष्ट है। 1960 के अधिनियम की धारा 110 के अंतर्गत, औद्योगिक विवाद निवारण अधिनियम के प्रावधानों को उन सभी उद्योगों पर लागू नहीं किया जाएगा जिन पर राज्य अधिनियम लागू होता है, सिवाय अध्याय वी-ए,वी-बी,वी-सी तथा छंटनी, छंटनी क्षतिपूर्ति, कुछ प्रतिष्ठानों में छंटनी, छंटनी और बंद करने से संबंधित विशेष प्रावधानों और अनुचित श्रम प्रथाओं से संबंधित अन्य प्रावधानों के।

15. 1960 के अधिनियम की अनुसूची में उल्लिखित उद्योगों की सूची में सीमेंट उद्योग को शामिल करने के खिलाफ याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दी गई मुख्य तर्क यह है कि केंद्र सरकार ने 8-11-1977 की अधिसूचना के तहत सीमेंट उद्योग में लगे उद्योगों को निर्दिष्ट किया है। औद्योगिक विवाद निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 2 के खंड (क) के उपखंड (ii) के तहत सीमेंट के विनिर्माण/उत्पादन को नियंत्रित उद्योग माना जाता है और इस प्रकार उपरोक्त अधिसूचना के आधार पर और औद्योगिक विवाद निवारण अधिनियम की धारा 2 (क)(i) के मद्देनजर, केंद्र सरकार सीमेंट उद्योग के लिए समुचित सरकार बन जाती है और 1960 के

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अधिनियम के प्रावधान सीमेंट उद्योग पर लागू नहीं होते हैं। 8-12-1977 की अधिसूचना जिसके द्वारा केंद्र सरकार ने औद्योगिक विवाद निवारण अधिनियम की धारा 39 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश दिया है कि सीमेंट उद्योग के संबंध में उस अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति का प्रयोग सभी राज्य सरकारों द्वारा भी किया जाएगा, अधिनियम की धारा 39 के तहत केवल शक्ति का प्रत्यायोजन है और राज्य सरकार ऐसे किसी भी औद्योगिक विवाद को केवल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित कर सकती है।

16. श्री योवन, **इंडिया सीमेंट्स एम्प्लॉइज यूनियन एवं अन्य बनाम इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड प्रबंधन एवं अन्य** मामले में उपरोक्त दोनों अधिसूचनाएँ सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचारार्थ आईं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में उपरोक्त दोनों अधिसूचनाओं का उल्लेख करते हुए यह माना कि केंद्र और राज्य सरकारें अधिनियम के अंतर्गत समुचित सरकारें हैं और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10(1)(ग) के अंतर्गत तमिलनाडु सरकार की अधिसूचना को वैध अधिसूचना माना गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. **बागलकोट उद्योग लिमिटेड के कर्मकार बनाम बागलकोट उद्योग लिमिटेड एवं अन्य** (रिट याचिका क्रमांक 3286/1997, रिट याचिका क्रमांक22 3444-47/1997 के साथ संयुक्त, दिनांक 20 जून, 2000) के मामले में, कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष एकमात्र मुद्दा यह था कि क्या राज्य सरकार 1970 के अधिनियम की धारा 2(1)(क) के अर्थ में सीमेंट उद्योग के संबंध में समुचित सरकार होने का दावा कर सकती है, जो उसे उक्त उद्योग में ठेका श्रमिकों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाने संबंधी उक्त अधिनियम की धारा 10 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार देती है। औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2(क) के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई उपरोक्त दो अधिसूचनाओं का उल्लेख करते हुए, यह माना गया कि राज्य सरकार को सीमेंट उद्योग के संबंध में समुचित सरकार नहीं माना जा सकता है और अधिनियम की धारा 10(1) के तहत राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को रद्द करने का फैसला बरकरार रखा गया।

18. **अल्ट्रा टेक सीमेंट लिमिटेड बनाम श्रीनिवास नारायणराव मोहरिल** के मामले में, महाराष्ट्र ट्रेड यूनियन मान्यता एवं अनुचित श्रम व्यवहार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत श्रम

न्यायालय में एक शिकायत दायर की गई थी। नियोक्ता ने इस आधार पर शिकायत को खारिज करने के लिए आवेदन दायर किया कि याचिकाकर्ता एक नियंत्रित उद्योग है जैसा कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2(ईई) के अंतर्गत परिकल्पित है और समुचित सरकार केंद्र सरकार है, इसलिए महाराष्ट्र अधिनियम के प्रावधान उस पर लागू नहीं होते। याचिकाकर्ता ने बर्खास्तगी के अपने आवेदन की अस्वीकृति के विरुद्ध एक रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश **ने बागलकोट उद्योग लिमिटेड और अन्य** (पूर्वोक्त) के मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए और तथ्यों के आधार पर श्री योवन, **इंडिया सीमेंट्स एम्प्लॉइज यूनियन** (पूर्वोक्त) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से अलग निर्णय देते हुए कहा कि राज्य सरकार समुचित सरकार के रूप में कार्य करते हुए केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में भूमिका का निर्वहन करती है और इसलिए धारा 2(3) के प्रयोजन के लिए यह नहीं कहा जा सकता है कि सीमेंट उद्योग के लिए राज्य सरकार समुचित सरकार है और तदनुसार, श्रम न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी द्वारा की गई शिकायत को खारिज कर दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. **यू.पी. इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड बनाम आर.के. शुक्ला एवं अन्य इत्यादि** के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मुद्दा यह था कि छंटनी मुआवजे के निर्णय से संबंधित मामलों का निर्धारण करते समय औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रावधान लागू होंगे या यू.पी. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 लागू होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ट्रेड यूनियनों, औद्योगिक और श्रम विवादों से संबंधित विधि समवर्ती सूची की प्रविष्टि 22 के अंतर्गत आते हैं और राज्य तथा संघ दोनों ही उस क्षेत्र के विधि बनाने के लिए सक्षम हैं। चूंकि अपील के इन समूहों में विवादित मामले पर दोनों अधिनियमों के सुसंगतता प्रावधान भौतिक रूप से भिन्न नहीं हैं और मूलतः एक जैसे हैं, इसलिए यह प्रश्न अकादमिक है और धारा 6-आर(2) के आधार पर, यू.पी. औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधान प्रथम दृष्टया छंटनी और छंटनी के मामलों में लागू होते हैं।

20. **चौ. टीका रामजी एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य के मामले** में, उत्तर प्रदेश अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। गन्ना (आपूर्ति और खरीद का विनियमन) अधिनियम 1953 और राज्य सरकार द्वारा अधिनियम के तहत जारी अधिसूचनाओं को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि विधि का विषय संसद के अनन्य अधिकारातीत में है और आईडीआर अधिनियम, 1951 के विपरीत है, जैसा कि अधिनियम 1953 और आवश्यक

वस्तु अधिनियम, 1955 द्वारा संशोधित गन्ना नियंत्रण आदेश, 1955 के साथ पढ़ा जाए। उपरोक्त अधिनियम की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए, सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने इस प्रकार माना: - कि चीनी और गन्ने के संबंध में केंद्रीय अधिनियम और उसके तहत अधिसूचना संविधान के सातवें अनुसूची की सूची III की प्रविष्टि 33 के तहत समवर्ती अधिकारातीत के तहत केंद्र सरकार द्वारा अधिनियमित और बनाई गई है, जैसा कि संविधान (तीसरा संशोधन) अधिनियम 1954 द्वारा संशोधित किया गया है, राज्य विधानमंडल को उसके अधिकारातीत से वंचित नहीं किया गया था और यू.पी. की विधायी अक्षमता का कोई सवाल नहीं है। विधानमंडल या उसके द्वारा विवादित अधिनियम को अधिनियमित करने में केंद्र के अनन्य अधिकारातीत का अतिक्रमण करने का मामला सामने आ सकता है;

केन्द्रीय अधिनियमों की तुलना में विवादित अधिनियम के प्रावधानों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि विवादित अधिनियम केवल गन्ने की आपूर्ति और खरीद के विनियमन से संबंधित था और किसी भी तरह से चीनी के संबंध में केंद्र के अनन्य अधिकारातीत पर अतिक्रमण नहीं करता था और इसलिए, उत्तर प्रदेश विधानमंडल इसे अधिनियमित करने के लिए पूरी तरह सक्षम था;

संविधान के अनुच्छेद 254 के तहत कोई विरोधाभास का प्रश्न नहीं उठ सकता है, जहां संसदीय विधान और राज्य विधान अलग-अलग क्षेत्रों में कार्य करते हैं और पृथक तथा विशिष्ट मामलों से निपटते हैं, भले ही वे सजातीय तथा संबद्ध प्रकृति के हों, और जहां, वर्तमान मामले की तरह, द्वारा अधिनियमित कृत्यों की वास्तविक शर्तों में कोई असंगति नहीं है।

संसद और राज्य विधानमंडल के बीच किसी भी प्रकार के मतभेद की कसौटी यह होगी कि क्या संसद और राज्य विधानमंडल समवर्ती सूची की प्रविष्टि के अंतर्गत विधि बनाते समय एक ही विषय-वस्तु पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं या क्या संसद द्वारा बनायीं गयी विधि संपूर्ण क्षेत्र को कवर करने के लिए व्यापक होने के आशय से बनाए गए थे;

संविधान के अनुच्छेद 254(2) के प्रावधान द्वारा संसद को प्रदत्त निरसन की शक्ति एक सीमित शक्ति थी और इसका प्रयोग केवल राज्य विधि द्वारा निपटाए गए मामले से संबंधित विधि बनाकर किया जा सकता था और राज्य विधि अनुच्छेद 254(2) के मुख्य भाग में इंगित प्रकार का होना चाहिए, और चूंकि विवादित अधिनियम उस श्रेणी में नहीं आता था, इसलिए प्रावधान लागू नहीं होता था और विवादित अधिनियम, उसके अधीन जारी अधिसूचना और उत्तर प्रदेश गन्ना आपूर्ति और खरीद विनियमन आदेश, 1954, 1955 के अधिनियम की धारा 16(1)(बी)

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

और उसके अधीन बनाए गए गन्ना नियंत्रण आदेश, 1955 के खंड 7(1) द्वारा निरस्त नहीं हुए थे;

अनुच्छेद 254 (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त निरसन की शक्ति का प्रयोग केवल संसद द्वारा किया जा सकता है तथा इसे किसी कार्यकारी प्राधिकारी को नहीं सौंपा जा सकता है और फलस्वरूप, केन्द्र सरकार को गन्ना नियंत्रण आदेश, 1955 की धारा 7 के अन्तर्गत निरसन की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है।"

21. **एम. करुणानिधि बनाम भारत संघ एवं अन्य** के मामले में, संविधान के अनुच्छेद 254(2) पर विचार करते हुए, निर्णय के पैराग्राफ-8 में यह कहा गया है कि जहाँ समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाले किसी विषय पर राज्य विधानमंडल द्वारा बनायीं गयी विधि संसद द्वारा बनाए गए किसी पूर्ववर्ती विधि से असंगत और प्रतिकूल हो, तो ऐसी विधि को संविधान के अनुच्छेद 254(2) के अंतर्गत राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करके संरक्षित किया जा सकता है। राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने का परिणाम यह होगा कि जहाँ तक राज्य अधिनियम का संबंध है, वह अभिभावी होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

राज्य में लागू होगा और केवल राज्य पर लागू होने के मामले में केंद्रीय अधिनियम के प्रावधानों को रद्द कर देगा। ऐसी स्थिति केवल तब तक बनी रहेगी जब तक संसद किसी भी समय अनुच्छेद 254 के परंतुक के अधीन राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए विधि में परिवर्धन, संशोधन, परिवर्तन या निरसन करने वाला विधि नहीं बना सकती। निर्णय के पैराग्राफ-24 में आगे कहा गया है:-

"यह सर्वविदित है कि किसी विधि की संवैधानिकता के पक्ष में पूर्वधारणा सदैव होती है और यह साबित करने का दायित्व उस व्यक्ति पर है जो विधि पर हमला करता है कि यह असंवैधानिक है। प्रथम दृष्टया, हमें राज्य कानून और केंद्रीय विधि के बीच कोई असंगति नहीं दिखाई देती है। किसी भी विरोधाभास के उत्पन्न होने से पहले, निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए:

1. केन्द्रीय अधिनियम और राज्य अधिनियम के बीच स्पष्ट और प्रत्यक्ष असंगति है।

2. ऐसी असंगतता पूर्णतः असंगत है।

3. दोनों अधिनियमों के प्रावधानों के बीच असंगति इस प्रकार की है कि दोनों अधिनियम एक दूसरे के साथ सीधे टकराव में आ जाते हैं और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जहां एक का पालन करना दूसरे की अवज्ञा किए बिना असंभव हो जाता है।'

22. वर्तमान मामले में उभरे निर्विवाद तथ्य इस प्रकार हैं:-

-1960 के अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा गया और राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद यह 27 नवम्बर, 1960 से लागू हो गया।

1960 के अधिनियम की धारा 110 में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की कोई भी बात उस उद्योग पर लागू नहीं होगी जिस पर यह अधिनियम लागू होता है। औद्योगिक विवाद अधिनियम के अध्याय वी-ए,वी-बी,वी-सी में निहित छंटनी, छंटनी, मुआवज़ा, कुछ प्रतिष्ठानों में विधिक कार्रवाई, छंटनी, बंद करने से संबंधित विशेष प्रावधान और अनुचित श्रम प्रथाओं से संबंधित औद्योगिक विवाद अधिनियम के कुछ प्रावधानों को, 1986 के मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 13 के स्थान पर प्रतिस्थापित करके अधिनियम द्वारा संरक्षित किया गया है।

अनुच्छेद 254 (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त निरसन की शक्ति का प्रयोग संसद द्वारा धारा 110 या 1960 के अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची में संशोधन करने के लिए नहीं किया गया है, जिससे सीमेंट उद्योग को उन उद्योगों की सूची में शामिल किया जा सके जिन पर 1960 का अधिनियम लागू होता है।

23. इन परिस्थितियों में, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्क कि केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 8-11-1977 की अधिसूचना जारी करने के बाद अनुसूची में सीमेंट उद्योग का प्रवेश निहित रूप से निरस्त/संशोधित हो गया है, जिसमें केंद्र सरकार को समुचित सरकार अधिसूचित किया गया है, सीमेंट के विनिर्माण या उत्पादन में लगे उद्योग को औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम, के प्रयोजनों के लिए नियंत्रित उद्योग घोषित किया गया है और राज्य सरकार एक उपयुक्त सरकार नहीं है, को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

24. केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिनांक 8 दिसम्बर, 1977 की अधिसूचना के आलोक में तथा श्री योवन, इण्डिया सीमेंट्स एम्प्लाइज यूनियन (पूर्वोक्त) के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि को ध्यान में रखते हुए, केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार भी औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत समुचित सरकार हैं।

25. हम यह भी देखते हैं कि वर्तमान मामले में संविधान के अनुच्छेद 254 के तहत विरोध का कोई प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि संसदीय विधान, औद्योगिक विवाद अधिनियम और एमपीआईआर अधिनियम अलग-अलग और विशिष्ट मामलों से निपटते हैं और संसद ने 8-11-1977 की अधिसूचना के बाद भी 1960 के अधिनियम के प्रावधानों के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 254 (2) के प्रावधान द्वारा प्रदत्त निरसन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

26. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने **स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं अन्य बनाम नेशनल यूनियन वाटरफ्रंट वर्कर्स एवं अन्य** और **नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एवं अन्य बनाम बद्री सिंह ठाकुर एवं अन्य** के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि राज्य सरकार द्वारा किया गया निर्देश सीमेंट उद्योग में ठेका श्रमिकों के नियमितीकरण और उन्मूलन से संबंधित है, जबकि 1970 के अधिनियम की धारा 2(1)(क)के प्रावधानों के मद्देनजर, केंद्र सरकार एक समुचित सरकार है और केंद्र द्वारा अधिसूचना जारी करके समुचित सरकार द्वारा ऐसा किया जा सकता है। 1970 के अधिनियम की धारा 10 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात सरकार द्वारा यह निर्णय लिया जाएगा।

27. वर्तमान मामले में, राज्य सरकार ने 1960 के अधिनियम की धारा 43 के तहत श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच सुलह कार्यवाही की विफलता के संबंध में सुलहकर्ता की रिपोर्ट के आधार पर, 1960 के अधिनियम की धारा 51 के तहत निम्नलिखित विवाद को औद्योगिक न्यायालय को निर्देशित किया: -

"(1) क्या ईकाई में कार्यरत् श्रमिकों को केन्द्रीय वेज बोर्ड द्वारा निर्धारित वेतन दिये जाने का औचित्य है?

(2) क्या श्री रामानुजम वे श्री नेवेटिया के अवार्ड की अनुच्छेद -211,225, एवं 226 के अनुसार ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने का औचित्य है?

(3) क्या वेज बोर्ड के अनुसार लोडिंग एवं अनलोडिंग श्रमिकों को छोड़कर शेष श्रमिकों को सोसंयंत्र में कार्य करते है उसे नियमित कर नियमित कर्मचारियों के समान वेतन, भत्ते एवं सुविधाएं दिए जाने का औचित्य है?

(4) क्या मेनटेनंस, पेकिंग, क्लीनिंग, रेल्वे ट्रन्सपोर्ट गेगमेन, गेस्टहाउस, केंटीन, माइंस क्वारी एवं अन्य माइंस जाब में 100 से अधिक श्रमिक कार्यरत है, उन्हे ठेकेदारी श्रमिक नहीं मानते हुए नियमित विभागीय श्रमिक माना जाकर वेतन एवं लाभ दिये जाने का औचित्य है?

(5) क्या पैकिंग प्लांट एवं (कोल एवं जिप्सम) में कार्यरत श्रीमिकों को पीस रेट न देकर नियमित कामगारी की भांति वेतन एवं लाभ उनके जइनिंग तिथि से दिये जाने का औचित्य है?

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(6) क्या इकाई में कार्यरत टेली चेकर, पैकर आपरेटर, क्लीनर, प्रिंटर बेग सप्लायर, सिप्सम पैकिंग, मेन्टेनंस (में. इलेक्ट्रीकल, मैकेनिकल एवं सिविल) रेल ट्रांसपोर्ट, पाइंटमेंन, वाटर सप्लाई, ड्रायवर, एच.व्ही. ड्रायवर, डंफर आपरेटर, माईस, क्वारी एवं अन्य माईस जाब, केंटीन, गेस्ट हाउस, माली, कुक, बेरर, मेन्स, स्वीपर, वाचमेन, चौकीदार एवं अन्य विविध जॉब में कार्यरत इन पद को कारखाने के रेग्यूलर पद के समतुल्य कार्यरत् श्रमिकों की भांति वेतन एवं अन्य लाभ मय एरियर्स 10% वार्षिक ब्याज की दर से भुगतान किये जाने का औचित्य हैं?"

28. निर्देश के आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि निर्देश पंचाट के कार्यान्वयन और सीमेंट वेतन बोर्ड पंचाट की सही व्याख्या एवं व्याख्या से संबंधित है। जैसा कि याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ताओं ने तर्क दिया है, राज्य सरकार द्वारा सीमेंट उद्योग में ठेका श्रमिकों को समाप्त करने या उनके नियमितीकरण के लिए कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है और इसलिए, हमारी सुविचारित राय में, इस संबंध में याचिकाकर्ताओं की आपत्ति स्वीकार नहीं की जा सकती।

29. बोर्ड द्वारा 5-10-2004 को पारित अंतरिम आदेश के विरुद्ध नियोक्ता द्वारा रिट याचिका क्रमांक 3973/2004 दायर की गई है, जिसके तहत औद्योगिक न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति पर विचार करते हुए यह टिप्पणी की है कि दूसरा पक्ष अपने दावे के

विवरण में इन आपत्तियों को शामिल कर सकता है, जिसका निर्णय अन्य मुद्दों के साथ गुण-दोष के आधार पर किया जाएगा, क्योंकि उठाई गई आपत्तियां विधि और तथ्यों के मिश्रित प्रश्न हैं।

30. हम प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क में बल पाते हैं कि वर्तमान याचिकाएं प्रारंभिक मुद्दे पर न्यायाधिकरण के निर्णय पर प्रश्न उठाकर न्यायाधिकरण को निर्देशित विवाद के अंतिम निर्णय को रोकने के लिए मध्यवर्ती चरण में दायर की गई थीं।

31. परिणाम में:-

हम प्रतिवादी क्रमांक 4 को देय 50,000/- रुपये की अनुकरणीय लागत लगाते हुए रिट याचिका क्रमांक 3973/2004 को खारिज करते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका क्रमांक 3333/2005 में, याचिकाकर्ता याचिका के अनुच्छेद-7 में दावा की गई किसी भी राहत के हकदार नहीं हैं। रिट याचिका खारिज किए जाने योग्य है और तदनुसार खारिज की जाती है।

32. लागत के संबंध में कोई निर्णय नहीं होगा।

सही/-

धीरेंद्र मिश्रा

न्यायाधीश

सही/-

आर एन चंद्राकर

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By- Yogita Naik, Advocate

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur